कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

सिस्टम टेन्डर नं 89519

तृतीय ई–निविदा आमंत्रण सूचना

फा.क.28/निर्माण /2021 कोरबा, दिनांक 24/12/2021

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा (भवन) दिनांक 01.01.2015, (विद्युत) दिनांक 01.06.2020, लो.स्वा.यां. यूएसओर दिनांक 01.06.2020 तथा नॉन एस.ओ.आर. से प्रभावशील दर पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्युल अनुसार आयटम दरो पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि लाख में	धरोहर राशि रू में	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत अशोक वाटिका का उन्नयन एवं विकास कार्य	953.77	476000/=	12 माह	वर्ग बी एवं प्रवर श्रेणी	06.01.2022 से ....

शर्ते–

1. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नही होगी।
2. इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी, आयकर प्रमाण पत्र/पेन नम्बर, **जी.एस.टी., बैंक साल्वेंसी प्रमाण पत्र,** पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि तथा निविदा प्रपत्र के अनुसार अन्य सभी संबंधित आश्यक दस्तावेज की स्पष्ट स्केन कॉपी ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा, प्रशिक्षित यंत्री एवं गार्डन संबधित कार्यों हेतु प्रशिक्षित क्यूरेटर/सुपरवाईजर नियुक्त करने तथा उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीकरण का कोड एवं धरोहर राशि का स्पष्ट **स्कैन कापी ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।**
3. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिए प्रत्यैक चल देयकों में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं 5 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में से 03 वर्ष के लिए रोकी जावेगी।
4. जिन निविदाकारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे।
5. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में वैध शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।
6. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का **1 प्रतिशत उपकर** के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
7. ठेकेदार को संबंधी सभी टेस्टिंग इन्स्ट्रूमेंट एवं लेबोरेट्री कार्य स्थल पर कार्यादेश के 15 दिवस के भीतर स्थापित करना अनिवार्य होगा तथा स्थापित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करना होगा।
8. *ईंट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।*
9. हार्टिकल्चर अंतर्गत किये जा रहे कार्यों यथा कार्पेट ग्रास तथा अन्य गार्डन संबंधी पेड़–पौधों का रख रखाव तथा कीट नाश्क छिड़काव तथा अन्य संबंधी हार्टिकल्चर कार्य, कार्यपूर्णता दिनांक से 01 वर्ष तक स्वयं के व्यय से करना अनिवार्य होगा।
10. सभी संबंधित सिविल कार्य यथा निमिर्तत भवनों का संधारण कार्य, स्टाम्प कांक्रीट कार्य, समस्त बिजली संबंधित कार्य, खेलकूद जिम संबंधी उपकरण, फाउंटेन कार्य, एल.ई.डी.बोर्ड का कार्य, पंप–पानी पाईप लाईन संबंधी कार्य एवं अन्य कार्यों का संधारण 3 वर्ष तक करना अनिवार्य होगा।
11. कार्य स्थल में अवरोधक आ रहे वृक्षों का सर्वे कर हटाने हेतु अनुमति संबंधी सभी कार्य निविदाकार को अपने स्वयं के व्यय से वन विभाग एवं जिला कलेक्टर कार्यालय से कार्यादेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर लेना अनिवार्य होगा।
12. प्रयुक्त लोहा का बिल एवं टेस्ट रिपोर्ट तथा प्रयुक्त सीमेंट का बिल संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफारमेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त *नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से* ***15 दिवस*** *के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।* उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
14. निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर संपूर्ण कार्य स्थल का विस्तृत टी.एस./डी.जी.पी.एस. सर्वे कराकर सर्वे संबंधी डेटा एवं दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15. कार्य स्थल में अवरोधक आने वाले विद्युत पोलों का सर्वे कर हटाने हेतु अनुमति संबंधी सभी कार्य निविदाकार को अपने स्वयं के व्यय से जिला विद्युत विभाग से कार्यादेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर करना होगा।
16. निविदा अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
17. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
18. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
19 उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित निर्माण शाखा से प्राप्त किये जा सकते है।

अधीक्षण अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

प्रतिलिपि– प्रोग्रामर, संचालनालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को www.Uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		24.12.21	17.30	24.12.21	10.30	Release Tender
2		Bid Submission	24.12.21	10.30	05.01.22	17.30	
3	Tender Open		06.01.21	10.31.	–	--	

SUPERINTENDING ENGINEER
KORBA (CG)
For, Commissioner Korba (C.G.)